विवरणिका

शासकीय महाविद्यालय, गुरुर

जिला-बालोद (छ.ग.) 491227
फोन - 07749-265461

प्राचार्य की कलम से ....

प्रिय, विद्यार्थियों,

शासकीय महाविद्यालय गुरुर सन् 2007 से इस शहर में संचालित है। महाविद्यालय में कला विज्ञान एवं वाणिज्य में स्नातक स्तर पर अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है।

वर्तमान मे यह महाविद्यालय पं. रविशंकर शुक्ल विश्व विद्यालय रायपुर से सम्बध्द है। जो अतिशीघ्र दुर्ग विश्वविद्यालय दुर्ग से सम्बध्द हो जायेगा।

महाविद्यालय में पाठ्यक्रम के अनुरूप अध्यापन के साथ-साथ व्यक्तित्व विकास एवं नैतिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जिससे छात्र/छात्राएं पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदार के साथ समाज एवं देश के प्रति अपनी जवाबदारी को पूरा कर सकें।

मैं नये सत्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और आपके उज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

डॉ. व्ही.एम.जुर्री
प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय गुरुर

जिला – बालोद (छ.ग.)

विवरणिका

सत्र 20... -20...

कोर वेल्यूज (Core Values)

- एकता एवं अखण्डता
  Unity and Integrity
- सभी के लिए प्रेम तथा शांति
  Love & Peace for Everyone
- सामुहिक भावना एवं उत्तरदायित्वों की भागीदारी आपसी आदर एवं पारदर्शिता
  Team work & Shared Responsibility. Mutual respect and transparency.

लक्ष्य एवं उद्देश्य (Goals & Objectives)

01. शिक्षा, अनुसंधान एवं अन्य क्षेत्र में संभव गुणवत्ता प्राप्त करना।
    To achieve the best possible standards in education, research and out reach programmes.
02. राष्ट्र की सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप प्रासंगिक अकादमिक कार्यक्रमोंको प्रोत्साहन।
    To promote academic programmes relevant to socioeconomic need of the nation.
03. राष्ट्र की विभिन्न संस्थाओं व प्रयोगशालाओं के साथ संबंध बनाये रखना।
    To promote networking with various centers/department and labs around the county.
04. विभिन्न क्षेत्रों में कौशल कौशलोन्मुख कार्यक्रमों को विकसित करना।
    To promote skill oriented programmes.
05. स्नातक स्तर पर अध्ययन एवं अध्यापन की स्तर को बढ़ाना।
    To enhance the quality of the learning and teaching process a U.G. level.
06. विद्यार्थियों की छिपी हुई प्रतिभा को बाहर लाना तथा सीखने हेतु रचानात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करना।
    To bring forward the inherent talents of students and encourage creativity.
07. समाजिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना।
    To develop awareness towards social & environmental problems.

संचालित पाठ्यक्रम एवं अध्ययन के विषय

स्नातक स्तर : किसी भी संकाय के प्रथम वर्ष में आधार पाठ्यक्रम हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा एवं पर्यावरण के अतिरिक्त तीन विषय समूहों में एक विषय का चयन करना अनिवार्य होगा।

कला संकाय विषय (B.A.)	विज्ञान संकाय विषय (B.Sc.)	वाणिज्य संकाय विषय (B.Com)
समाजशास्त्र राजनतिशास्त्र भूगोल	रसायनशास्त्र वनस्पतिशास्त्र प्राणीशास्त्र	विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समस्त अनिवार्य विषय

टीप : प्रवेश लेने के बाद चयनित विषय में किसी भी स्तर पर परिवर्तन नहीं होगा, अतः विषयों के चयन में पूरी सावधानी बरतें।

प्रवेश संबंधी नियमावली (Rules of admission)

01. महाविद्यालय के विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश की कार्यवाही छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय की स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्ग-दर्शन सिद्धान्त के आधार पर गुणानुक्रम में की जायेगी।
02. यदि विद्यार्थी एक संकाय से दूसरे संकाय में प्रवेश चाहता है तो उसका गुणानुक्रम प्राप्तांकों से 5% काटकर निर्धारित किया जायेगा।
03. प्रवेश शुल्क जमा करने पर ही वैध माना जावेगा। निर्धारित समय पर शुल्क जमा नहीं करने पर प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।
04. किसी कक्षा में प्रवेश लेकर बीच में अध्ययन छोड़ देने वाले विद्यार्थी एवं एक बार अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी को उसी कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
05. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर को छोड़कर अन्य किसी दूसरे विश्वविद्यालय से आने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश के लिए पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसी प्रकार छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल तथा सेन्ट्रल बोर्ड नयी दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी बोर्ड से बारहवीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह प्रमाण पत्र पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जायेगा। इस हेतु निर्धारित शुल्क के साथ उत्तीर्ण परीक्षाओं के मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
06. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी प्रवेश आवेदन के साथ अनिवार्य रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
07. क्रीड़ा के क्षेत्र में प्रतिभावान छात्रों को नियमित अभ्यास एवं प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था के साथ प्राथमिकता दी जावेगी।
08. महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक छात्र को समग्र निर्धारित नियमों एवं परिनियमों का पालन करने के साथ-साथ कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगा।
09. प्रवेश संबंधी अन्य जानकारियों के लिए महाविद्यालय के सूचना पटल का अवलोकन करें।
10. प्रवेश संबंधी प्राचार्य का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

अध्ययन संबंधी नियमावली (Rules of Learning)

01. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य होगी तथा यह एन.एस.एस./एन.सी.सी. में भी लागू होगी। अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
02. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का प्रयोग सावधानीपूर्वक करेगा, उन्हें स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को स्वच्छ रखेगा।
03. अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाई के लिए वह शिक्षकों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
04. ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में पुस्तकें प्राप्त होगी। तथा समय पर नहीं लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दण्ड देना होगा।
05. अध्ययन कक्षों, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्नीचर, विद्युत उपकरण आदि की तोड़ फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा।

छ.ग. के शासकीय महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए आचरण संहिता

सामान्य नियम :

छ.ग. के शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरश पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा। महाविद्यालय में प्रवेशित छात्र-छात्राओं को निम्नांकित आचरण संहिता का पालन करना अनिवार्य होगा :-

01. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होना चाहिए।
02. प्रत्ये विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों में भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
03. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा। अभद्र व्यवहार, असंसदीय भाषा का प्रयोग, गाली-गलौच, मारपीट या आग्नेय शस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
04. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।
05. महाविद्यालय को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल निव्यर्सन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।
06. महाविद्यालय की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थो का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा।
07. महाविद्यालय में इधर-उधर थूकना, दीवालों को गंदा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है। असामाजिक तथा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जावेगी।
08. वह अपनी मांगों का प्रदर्शन, आंदोलन, हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आपको दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगो को मनवाने के लिए राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।
09. विद्यार्थी महाविद्यालय के सामग्रियों को किसी भी प्रकार से क्षति पहुंचाने का प्रयास नहीं करेगा। यदि ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

परीक्षा संबंधी नियमावली (Rules of Examination)

01. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाले सभी इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
02. अस्वस्थता वश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरान्त परीक्षा देगा।
03. परीक्षा तथा परीक्षा के संबंध में किसी भी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र

01. यदि छात्र किसी अनैतिकतामूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
02. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छ.ग. शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिए प्रेरित करने पर पांच साल तक कारावास की सजा या पांच हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
03. यदि विद्यार्थी समय सीमा में प्रवेश शुल्क जमा नहीं करता है तो उसका नाम काट दिया जायेगा।
04. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन पत्र में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत तथ्य प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा।

महाविद्यालय का शैक्षणिक कैलेण्डर 2016-17

माह	दिनांक	विवरण
जून	16-06-16 से 31-07-16 तक	प्रवेश प्रकिया प्रारंभ
जुलाई	07-07-16 से 14-07-16 तक 16-07-16 से 30-07-16 तक 31-07-16 31-07-16	वन महोत्सव खेलकूद स्पर्धा प्रारंभ (इनडोर/आउटडोर) प्रवेश की अंतिम तिथि (शासन या कुलपति के आदेश पर तिथि में परिवर्तन संभव है।) प्रथम यूनिट परीक्षा
अगस्त	01-08-16 से 25-08-16 तक 15-08-16 23-08-16 30-08-16 31-08-16	राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई में पंजीयन स्वतंत्रता दिवस छात्रसंघ गठन चुनाव प्रक्रिया द्वितीय यूनिट परीक्षा छात्रसंघ शपथ ग्रहण
सितम्बर	05-09-16 08-09-16 से 14-09-16 तक 14-09-16 24-09-16 सितम्बर अंतिम सप्ताह	शिक्षक दिवस अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता सप्ताह हिन्दी दिवस राष्ट्रीय सेवा योजना स्थापना दिवस प्रथम सत्र परीक्षा (आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा)
अक्टूबर	01-10-16 02-10-16 16-10-16 24-10-16 से 30-10-16 तक 31-10-16 माह के द्वितीय एवं तृतीय सप्ता के मध्य	स्वच्छिक रक्तदान गांधी जयंती विश्व खाद्य दिवस यातायात नियंत्रण सप्ताह राष्ट्रीय एकता दिवस राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई का विशेष शिविर का आयोजन
नवम्बर	02-11-16 से 07-11-16 तक 14-11-16 15-11-16 19-11-16 19-11-16 से 25-11-16 तक 19-11-16 25-11-16 नवम्बर अंतिम सप्ताह	तृतीय यूनिट परीक्षा बाल दिवस शैक्षणिक भ्रमण मातृ दिवस कौमी एकता दिवस पर्यावरण चेतना माह प्रारंभ गुरूनानक जयंती द्वितीय सत्र परीक्षा
दिसम्बर	01-12-16 05-12-16 10-12-16 18-12-16 18-12-16 19-12-16 20-12-16 20-12-16, 21-12-16, 22-12-16	विश्व एड्स दिवस अन्तर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस विश्व मानवाधिकार दिवस पर्यावरण चेतना माह समापन गुरू घासीदास जयंती खेलकूद प्रतिस्पर्धा का समापन (इनडोर/आउटडोर) चतुर्थ यूनिट परीक्षा महाविद्यालय स्तर पर खेलकूद का वार्षिक आयोजन एवं पुरूस्कार वितरण, वार्षिक उत्सव
जनवरी	12-01-17 12-01-17 से 19-01-17 तक 22-01-17 से 24-01-17 तक 26-01-17 माह के अंतिम सप्ताह	राष्ट्रीय युवा दिवस राष्ट्रीय युवा सप्ताह प्री फाईनल परीक्षा गणतंत्र दिवस भौगोलिक भ्रमण
फरवरी		प्रायोगिक परीक्षाएं
मार्च		वार्षिक परीक्षाएं

विश्वविद्यालय का शैक्षणिक कैलेण्डर 2016-17

- सत्र प्रारंभ - 15 जून
- प्रवेश प्रक्रिया (प्राचार्य का अधिकार) - 16 जून से 31 जुलाई तक
- कुलपति की अनुमति से प्रवेश की अंतिम तिथि - 14 अगस्त तक

अन्य समस्त गतिविधियां विश्वविद्यालय समन्वय समिति द्वारा घोषित कैलेण्डर के अनुसार सम्पादित होगी।

विद्यार्थियों की शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सतत् मूल्यांकन के तहत् निम्नानुसार आंतरिक परीक्षाएं आयोजित होगी -

- प्रथम यूनिट परीक्षा - अगस्त
- द्वितीय यूनिट परीक्षा - सितम्बर
- त्रैमासिक परीक्षा - अक्टूबर
- तृतीय यूनिट परीक्षा - नवम्बर
- चतुर्थ यूनिट परीक्षा - दिसम्बर
- छःमासी परीक्षा - जनवरी
- वार्षिक प्रायोगिक परीक्षा - फरवरी

शुल्क विवरणिका 2016-17

कक्षा	पी.डी. मद	सम्मिलित निधि	शासन	जनभगीदारी	कुल राशि
B.Sc. I	421=00	69=00	140=00	500=00	1130=00
B.Sc. II	261=00	69=00	140=00	500=00	970=00
B.Sc. III	261=00	69=00	140=00	500=00	970=00
B.A. I	421=00	69=00	140=00	500=00	1130=00
B.A. II	261=00	69=00	140=00	500=00	970=00
B.A. III	261=00	69=00	140=00	500=00	970=00
B.Com. I	401=00	69=00	120=00	500=00	1090=00
B.Com. II	241=00	69=00	120=00	500=00	930=00
B.Com. III	241=00	69=00	120=00	500=00	930=00

टीप : 01) शासन द्वारा समस्त छात्राओं को एवं अजा/अजजा वर्ग के समस्त छात्रों को रू. 115=00 शिक्षण शुल्क में छुट है।

02) बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.सी. भाग दो और तीन के नियमित छात्राओं को सुरक्षा निधि एवं नामांकन शुल्क 60+100=160 रू. नहीं लगेगा।

आर्थिक दण्ड (Penal Charges)

01. जनरल फाईन - (गैर प्रायोगिक विषय) - रू. 10/-
    (प्रायोगिक विषय) - रू. 10/- प्रति प्रायोगिक विषय
02. ग्रंथालय में समय पर पुस्तक जमा नहीं करने पर - रू. 01 प्रति दिन
03. प्रवेश हेतु जारी सूची की तिथि के अन्तर्गत शुल्क जमा नहीं करने पर 100/- विलंब शुल्क (07 दिवस तक) उसके पश्चात् प्राचार्य की अनुमति से।
04. अन्य यदि कोई हो तो सूचना पटल पर सूचना दी जायेगी।

महाविद्यालय परिवार (College Staff)

प्राचार्य :-डॉ. व्ही.एम. जुर्री (एम.ए./पी.एच.डी.)

अध्यापक मण्डल की सूची

क्र.	विभाग का नाम	प्राध्यापक का नाम	पदनाम	शैक्षणिक योग्यता
01	समाजशास्त्र	डॉ. जे. एल. बघेल	सहायक प्राध्या.	एम.ए./एम.फिल./पी.एच.डी.
02	वनस्पतिशास्त्र	श्री ओ. पी. चन्दे	सहायक प्राध्या.	एम.एस.सी.
03	हिन्दी	श्री के. एल. रावटे	सहायक प्राध्या.	एम.ए.
04	अंग्रेजी	एक पद रिक्त	सहायक प्राध्या.	रिक्त पदों के विरूद्ध शासन द्वारा संविदा/अतिथि व्याख्याता की नियुक्ति प्रतिवर्ष की जाती है।
05	प्राणीशास्त्र	एक पद रिक्त	सहायक प्राध्या.	
06	रसायनशास्त्र	एक पद रिक्त	सहायक प्राध्या.	
07	भूगोल	एक पद रिक्त	सहायक प्राध्या.	
08	राजनीतिशास्त्र	एक पद रिक्त	सहायक प्राध्या.	
09	वाणिज्य	दो पद रिक्त	सहायक प्राध्या.	

सहयोगी कर्मचारियों की सूची

क्र.	पदनाम	कर्मचारियों का नाम	शैक्षणिक योग्यता
01	सहायक ग्रेड-1	श्री डी. के. सोनी	एम.ए.
02	सहायक ग्रेड-2	श्री एम. एल. यादव	बी.कॉम.
03	सहायक ग्रेड-3	अनिशा परदेशी	एम.ए.
04	प्रयोगशाला तकनीशियन	श्री यू.एस. बर्मन	बी.एस.सी.
		श्रीमती सविता गिलहरे	बी.एस.सी.
05	चतुर्थ वर्ग कर्मचारी	श्री अशोक मण्डावी	आठवीं
		श्री भुवन लाल ध्रुव	बी.ए.

छात्र-छात्राओं हेतु सुविधाएं :-

01. विद्यार्थी सहायता निधि :-

गरीबी रेखा से नीचे के आय समूह वाले जरूरत मंद विद्यार्थियों को इस निधि से उपलब्धता एवं संबंधित शिक्षक समिति की अनुशंसा के आधार पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

02. छात्रवृत्ति :-

महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को शासन के योजनाओं के अनुरूप छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इनमें प्रमुख निम्नानुसार है :-

➢ **पोस्ट मैट्रिक राज्य छात्रवृत्ति :-**

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति सुविधा शासन द्वारा दी जाती है।

छात्रवृत्ति हेतु आय सीमा :-

(अ) अजा/अजजा हेतु - 200000 रू.परिवार की वार्षिक आय

(ब) अपिव हेतु - 100000 रू. परिवार की वार्षिक आय

छात्र-छात्राओं द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन ऑनलाईन माध्यम से भरा जावेगा। अंतिम तिथि शासन के नियमानुसार निर्धारित होगी।

➢ **अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति :-**

अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं को मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति भारत सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के विगत वर्ष की परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक पाने वाले एवं 2500000 रूपये तक अभिभावकों की वार्षिक आय वाले प्रतिभावान विद्यार्थियों से मेरिट कम मीन्स अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति वर्ष 2015-16 हेतु आवेदन पत्र भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा ऑनलाईन आवेदन हेतु निम्नानुसार समय सीमा निर्धारित की गई है। भारत सरकार क वेबसाईट http://momaschlorship.gov.in में ऑनलाईन आवेदन करें।

क्र.	निर्धारित प्रक्रिया	निर्धारित तिथि (नवीन हेतु)	निर्धारित तिथि (नवीनीकरण हेतु)
01	छात्र - छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन करने की तिथि	30 सितम्बर 2016	31 दिसम्बर 2016

टीप : इस छात्रवृत्ति हेतु मुस्लिम, इसाई, सिक्ख, बौद्ध, फारसी समूह के छात्र आवेदन कर सकेंगे।

➢ **बी.पी.एल. राज्य छात्रवृत्ति :-**

राज्य शासन के नियमानुसार बी.पी.एल. कार्डधारी परिवार के छात्र-छात्राओं को शासन द्वारा छात्रवृत्ति सुविधा दी जाती है। उक्त छात्रवृत्ति के लिए छात्र-छात्राओं को बैंक अथवा पोष्ट आफिस में खाता खुलवाकर पासबुक एवं बी.पी.एल. कार्ड का सत्यापित छायाप्रति छात्रवृत्ति फार्म में संलग्न करना आवश्यक है। अंतिम तिथि एवं अन्य दस्तावेज शासन के नियमानुसार।

➢ **केन्द्रीय क्षेत्रीय छात्रवृत्ति :-**

यह छात्रवृत्ति प्रवीण सूची में सम्मिलित छात्र-छात्राओं को जिनके परिवार की वार्षिक आय सीमा ४॰५ लाख रूपये से अधिक ना हो, छात्रवृत्ति सुविधा केन्द्र शासन द्वारा दी जाती है। इस छात्रवृत्ति की सम्पूर्ण जानकारी वेबसाईट http://momaschlorship.gov.in पर उलब्ध है।

टीप : -

01) उपरोक्त छात्रवृत्ति में से विद्यार्थी को उस सत्र में केवल एक ही छात्रवृत्ति की पात्रता होगी।

02) छात्रवृत्ति संबंधी अन्य जानकारी विद्यार्थी को सूचना बोर्ड के माध्यम से समय-समय पर दी जावेगी।

03. पुस्तकालय एवं वाचनालय :-

इस महाविद्यालय के पुस्तकालय एवं में विभिन्न विषयों की पुस्तकें, पत्रिकाएं, समाचार पत्र आदि विद्यार्थियों हेतु उपलब्ध है।

04. छात्रा कॉमन रूम :-

इस महाविद्यालय में छात्राओं के लिए गर्ल्स कॉमन रूम की व्यवस्था है।

05. शिकायत निवारण प्रकोष्ठ :-

इस प्रकोष्ठ के लिए शिक्षकों की एक समिति गठित की जाती है, जो विद्यार्थियों से प्राप्त विभिन्न तरह की शिकायतों का निवारण करती है।

06. कैरियर मार्गदर्शन एवं पदस्थापना प्रकोष्ठ :-

इस प्रकोष्ठ के लिए वरिष्ठ एवं अनुभवी शिक्षकों की एक समिति गठित की जाती है जो कि विद्यार्थियों की मार्गदर्शन हेतु समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करती है एवं उन्हें कैरियर हेतु सुझाव और सुविधा उपलब्ध कराती है। इस वर्ष से यह समिति विभिन्न क्षेत्रों में सेवा के लिए कैम्पस इंटरव्यू आयोजित करने का प्रयास करेगी।

07. महिला परामर्श प्रकोष्ठ :-

इस महाविद्यालय के विशेषज्ञों की एक समिति महिलाओं से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर परामर्श के द्वारा मार्गदर्शन करती है।

08. चिकित्सा सुविधा :-

महाविद्यालय के विज्ञान, एन.एस.एस. के छात्रों द्वारा चिकित्सक के मार्गदर्शन में महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं का सामान्य परीक्षण कराया जाता है। महाविद्यालय में प्राथमिक चिकित्सा की भी व्यवस्था है।

09. खेलकूद :-

छात्र-छात्राओं के व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास के लिए महाविद्यालय में खेलकूद से संबंधित विविध गतिविधियों के लिए प्राध्यापकों की एक समिति गठित की जाती है। महाविद्यालय द्वारा खेलकूद संबंधी सुविधाओं का विवरण निम्नलिखित है :-

खेल मैदान - आठ एकड़ में।

अ) आउटडोर -क्रिकेट,एथलेटिक्स,खो-खो,बॉलीबाल,बास्केटबाल,बैटमिंटन, कबड्डी।

ब) इनडोर -कैरम, शतरंज, टेबल-टेनिस

10. रेमेडियम/ट्यूटोरियल/विशेष कक्षाएं :-

इस महाविद्यालय के प्राध्यापकों के द्वारा हर कक्षा के कमजोर एवं देदीप्यमान छात्र-छात्रओं का पहचान कर उनके लिए आवश्यकतानुसार रैमेडियल, ट्यूटोरियल, विशेष कक्षाएं ली जाती है।

11. अतिथि व्याख्यान :-

महाविद्यालय में विभिन्न विषयों में व्याख्यान हेतु विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है।

छात्रसंघ :-

महाविद्यलय में प्रतिवर्ष विद्यार्थियों की कलात्मक, साहित्यिक, सांस्कृतिक प्रतिभा के प्रोत्साहन हेतु पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के अध्यादेश क्रमांक 01 के अनुसार छात्रसंघ गठित किया जाता है।

श्रेष्ठ विद्यार्थी :-

महाविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर एक-एक विद्यार्थी का चयन सर्वोत्तम विद्यार्थी के रूप में किया जाता है। चयन हेतु मापदण्ड प्राचार्य द्वारा गठित समिति तय करती है।

परिचय पत्र :-

प्रत्येक विद्यार्थी के लिए परिचय पत्र बनावाना अनिवार्य है। जिसमें पासपोर्ट साईज का एक फोटो लगाना भी अनिवार्य है। विद्यार्थी अपने परिचयन पत्र सावधानीपूर्वक रखें क्योंकि किसी भी परिस्थिति में परिचय पत्र दोबारा नहीं दिया जायेगा। एक विद्यार्थी को एक शिक्षण सत्र में एक ही बार परिचय पत्र दिया जायेगा।

शैक्षणेत्तर गतिविधि :-

➢ एन.एस.एस. :-

महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई संचालित है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक सेवा की भावना विकसित कर उनके व्यक्तित्व का विकास करना है। इस आयोजन के तहत् नियमित गतिविधि एवं विशेष शिविर का आयोजन किया जाता है। नियमित गतिविधि के अन्तर्गत महाविद्यालय परिसर एवं आस-पास की साफ-सफाई, वृक्षारोपण, पौध संरक्षण, सद्भावना रैली, प्रेरणा रैली एवं विचार गोष्ठी का आयोजन किया जाता है। विशेष शिविर का आयोजन सात दिनों के लिए किसी ग्राम में किया जाता है। जिसमें इकाई के 50 प्रतिशत छात्र-छात्राओं की सहभागिता होती है।

➢ मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना :-

योजनान्तर्गत निम्नांकित पाठ्यक्रमों में गैर महाविद्यालयीन उद्यमियों को सीमित समयावधि में कौशल विकसित करने हेतु महाविद्यालय पंजीकृत है :-

01. TALLY
02. SOFT SKILLS FOR SUPERVISOR
03. SOFT SKILLS FOR BASE LINE STAFF IN SERVICE SECTOR
04. SPOKEN ENGLISH & COMMUNICATION SKILL
05. COMPUTER FANDAMENTAL M.S. OFFICE & INTERNET
06. SOFT SKILLS FOR FRONT LINE ASSISTANT
07. ACCOUNTING

मुख्यमंत्री महाविद्यालयीन युवा जीवन कौशल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अंग्रेजी भाषा संचार कौशल, अंग्रेजी साक्षरता तथा सामान्य व्यवहार दक्षता कौशल पाठ्यक्रम प्रशिक्षण।

गतिविधि समितियां :-

विद्यार्थियों के सर्वांगिण विकास के लिए इस महाविद्यालय में निम्नलिखित समितियों का गठन किया जाता है :-

01. सांस्कृतिक समिति -

02. सामाजिक गतिविधि समिति -

03. विज्ञान समिति -

04. क्रीड़ा समिति -

05. लैंगिक मामलों की समिति -

06. शिक्षक पालक समिति -

पालकों एवं शिक्षकों के बीच विचारों के आदान-प्रदान, विद्यार्थियों के विकास एवं समस्याओं के समाधान के लिए पालक-शिक्षक समिति गठित की जाती है, जिसकी बैठक वर्ष में माह अगस्त, अक्टूबर और दिसम्बर के तीसरे शनिवार को दोपहर तीन बजे आयोजित की जाती है।

07. एंटी-रैगिंग समिति -

महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले कनिष्ठ विद्यार्थी को वरिष्ठ विद्यार्थी द्वारा किसी भी तरह से परेशान ना किया जावे इस हेतु महाविद्यालय में एंटी रैगिंग समिति गठित की जाती है। जो इस हेतु सावधानीपूर्वक निगरानी रखती है। महाविद्यालय में रैगिंग संबंधी कोई समस्या नहीं है। फिर भी सावधानी के दृष्टिकोण से यह समिति गठित की जाती है।

08. पुरूस्कार वितरण समारोह -

वार्षिक पुरूस्कार वितरण समारोह के अवसर पर मेधावी छात्र-छात्राओं को शिक्षकों के एक समिति के द्वारा अनुसंशित विभिन्न क्षेत्रों में पुरूस्कार प्रदान किया जाता है।

09. आई.क्यू.ए.सी. (आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ) -

महाविद्यालय में अध्ययन अध्यापन आदि की गुणवत्ता में वृद्धि हेतु आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ का गठन की गई है। जिसमें प्रशासनिक अधिकारी, महाविद्यालय के प्राध्यापक, भूतपूर्व छात्रों व स्टॉक होल्डर मिलकर महाविद्यालय के विकास हेतु समय-समय पर अपना सुझाव व मार्गदर्शन प्रदान करती है।

10. आंतरिक मूल्यांकन प्रकोष्ठ -

इस महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा आंतरिक मूल्यांकन प्रकोष्ठ के लिए प्राध्यापकों की एक समिति गठित की जाती है। इस समिति के द्वारा हर माह होने वाले यूनिट टेस्ट, तिमाही एवं छःमाही परीक्षाएं संचालित की जाती है। इसके अतिरिक्त समिति छात्रों के विभिन्न शिक्षणेत्तर गतिविधियों का भी मूल्यांकन करती है।

11. N-List – INFLIBENT –

यह महाविद्यालय राष्ट्रीय पुस्तकालय एवं सूचना सेवा की एक अधिकृत यूजर है। जिसके अन्तर्गत छः हजार ई-जनरल, 97 हजार ई-बुक्स, Eccess करने की सुविधा छात्रों एवं प्राध्यापकों को निःशुल्क उपलब्ध है।

12. कैम्पस Wi-Fi -

महाविद्यालय में कैम्पस Wi-Fi सुविधा उपलब्ध है।

13. सेमीनार हॉल -

महाविद्यालय छात्र-छात्राओं के शिक्षण कौशल में वृद्धि हेतु इंटरनेट व एल. सी.डी. प्रोजेक्टर युक्त सेमीनार हाल की सुविधा है। जिसमें प्राध्यापक एवं छात्र समय-समय पर विभिन्न बिन्दुओं पर परिचर्चा की जाती है।

14. जिम्नेजिम -

महाविद्यालय में छात्र-छात्रओं को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने हेतु जिम की सुविधा उपलब्ध है।

15. रूसा -

महाविद्यालय को राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जोड़कर विकसित किये जाने का प्रस्ताव है।

16. पादप रोग निदान सलाह केन्द्र -

महाविद्यालय के वनस्पतिशास्त्र विभाग में अंचल के किसानों के लिए पौधों संबंधी रोगों का पहचान व निदान के उपायों आदि पर निःशुल्क परामर्श दिया जाता है।

17. निःशुल्क मृदा परीक्षण केन्द्र -

प्रत्येक शनिवार के तीन से पांच बजे तक रसायनशास्त्र प्रयोगशाला में मृदा परीक्षण सुविधा किसानों के लिए निःशुल्क उपलब्ध है।

नियमित विद्यार्थी के रूप में वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता :-

01. प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
02. कुल सात आंतरिक परीक्षाओं में से कम से कम पांच में सम्मिलित होना आवश्यक है।
03. एन.सी.सी./एन.एस.एस./खेलकूद/राज्यस्तरीय प्रतिस्पधाओं में सम्मिलित हुए छात्रों को उपस्थित माना जावेगा।
04. उपस्थिति की प्रथम गणना 31.10.2016 तक की जावेगी।
05. कम उपस्थिति वाले छात्रों को सूचना पटल पर सूचना दी जावेगी।
06. उपस्थिति की द्वितीय गणना 17.02.2017 तक की जावेगी।
07. विश्वविद्यालय अपने स्तर पर इनसे अतिरिक्त शुल्क ले सकेगी।

रैगिंग :-

रैंगिग एक दण्डनीय अपराध है। इस संबंध में " छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताडना का प्रतिषेध अधिनियम २००१" पारित किया गया है, जो राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं में रैंगिग तथा उनसे संबंधित मामलो और अनुसंगिक विषयों के निवारण हेतु अधिनियम हैं। इस अधिनियम के मुख्य बिन्दू निम्नानुसार है:-

परिभाषा :-

रैंगिग से अभिप्राय है कि किसी छात्र/छात्रा द्वारा मजाक पूर्वक व्यवहार से या अन्य प्रकार से उत्प्रेरित, बाघ्य या मजबूर करना। जिससे उसके मानवीय मूल्यों का हनन या उसके व्यक्तित्व का अपमान या उपहास अभिदर्शित होता हो या किसी विधिपूर्ण कार्य करने से रोकना, आपराधिक, दोषपूर्ण परिरोध, या उससे क्षति पहुँचाना या उस पर आपराधिक बल के प्रयोग द्वारा।

रैंगिग का प्रतिषेध :-

किसी शैक्षणिक संस्था का छात्र/छात्रा प्रत्यक्षः या परोक्ष या अन्य प्रकार से रैगिंग में भाग नही लेगा।

दण्ड :-

यदि कोई व्यक्ति रैगिंग के प्रतिषेध के उपबंधो का उल्लंधन करता है या उल्लंधन करने का प्रयास करता है या रैगिंग करने के लिए दुष्प्रेरित करता है तो वह या तो कारावास से जो 05 वर्ष से अधिक नही होगी या जुर्माने से जो 5 हजार रूपये से अधिक नही होगी या दोनो से दंडित किया जा सकेगा। इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक संज्ञेय अजमानतीय एवं अप्रशनीय होगा।

अपराधों का विचार :-

इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध का विचारण प्रथम वर्ग न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

छात्र/छात्राओं के निष्कासन के लिए निर्योग्यता :-

इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण या विचारण लंबित होने पर शिक्षण संस्था के प्रधान को इस अधिनियम के अधिन अपराध के लिए अभियुक्त छात्रा को निलंबित करने और शैक्षणिक संस्था परिसर तथा छात्रावास में प्रवेश से वर्जित करने का अधिकार होगा।

किसी शैक्षणिक संस्था का कोई छात्र/छात्रा जो इस अधिनियम के अधीन सिद्व दोष पाया गया हो, शैक्षणिक संस्था से निष्कासन के लिए जिम्मेदार होगा।

ऐसे छात्र/छात्रा जो निष्कासित किया गया हो या अन्य कोई जो इस अधिनियम के अधीन सिद्वदोष पाया गया हो, को किसी अन्य शैक्षणिक संस्था में राज्य के क्षेत्राधिकार के भीतर तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

रैगिंग क्या है?

रैगिंग के अन्तर्गत :-

कोलाहलपूर्ण अनुचित व्यवहार करना, चिढ़ाना, भद्दे या अशिष्ट आचरन उपद्रवी एवं अनुशासनहीन क्रिया-कलापों में संलग्न जिससे नये छात्र के गुस्सा, अनावश्यक परेशान, शारीरिक अथवा मानसिक क्षति हो, अथवा उसमें आशंका व भय बढ़ाने वाला हो, अथवा छात्रों को कार्य करने के लिए कहना, जो छात्र/छात्रा सामान्यतः नही कर सकता/सकती और जिससे उसे शर्म या अपमान अनुभव होता हो, अथवा जीवन के लिए खतरा हो। **छ.ग. राज्य शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग रोकथाम अधिनियम 2002**

कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1995 (कर्नाटक अधिनियम नं. 1 1995) अनुच्छेद 2 (29) के अनुसार रैगिंग की परिभाषा इस प्रकार है। किसी छात्र को मजाक में या अन्य किसी प्रकार से ऐसा काम्र करने के लिए कहना, प्रेरित करना या बाध्य करना जो मानव मर्यादा के विपरीत हो या जो उसके व्यक्तित्व के विपरीत हो या जिससे वह हाहस्यास्पद हो जाए या डरा-धमकाकर गलत ढ़ंग से बंद करके चोट पहुँचाकर या उस पर अनुचित दबाव डालकर या उसे इस प्रकार की धमकी, भय दिखाकर वैधानिक काम्र करने मना करना।

रैगिंग के स्वरूप :-

रैगिंग निम्नांकित रूपों (सूची केवल निर्देशात्मक है, संपूर्ण नहीं) में पाई जाती है :-

स्पष्ट आदेश :-

- सीनियर छात्रों को सर कहने के लिए
- सामूहित कवायद करने के लिए
- सीनियरों के क्लास-नोट्स उतारने के लिए
- अनेक सौंपे हुए कार्य करने के लिए
- सीनियरों के लिए भृत्योचित कार्य करने के लिए
- अश्नीन प्रश्न पूछने या उनका उत्तर देने के लिए
- नये छात्रों को अपने सीधेपन के विपरीत आघात पहुँचाने हेतु अश्लील चित्रों को देखने के लिए
- शराब, उबलती हुई चाय, आदि पीने के लिए बाध्य करना।
- कामुक संकेतार्थ वाले कार्य-समलैंगिक कार्य सहित करने के लिए बाध्य करना।
- ऐसे कार्य करने के लिए बाध्य करना जिससे शारीरिक क्षति,मानसिक पीड़ा या मृत्यु तक हो सकती है।
- नंगा करना, चुम्बन लेना आदि।
- अन्य अश्लीलताएं करना।

उपर्युक्त यह विदित हो कि प्रथम पांच को छोड़कर अधिकतर रैगिंग के विकृत रूपों से युक्त है।

रैगिंग में लिप्त होने पर दिये जाने वाला दण्ड :-

- प्रवेश निरस्त किया जाना।
- कक्षा/छात्रावास से निष्कासित किया जाना।
- छात्रवृत्ति अथा अन्य सुविधा रोकना।
- परीक्षाओं से वंचित करना।
- परीक्षा-परिणाम रोकना।
- राष्ट्रीय, अंतरार्ष्ट्रीय तथा युवा उत्सव में भाग लेने पर प्रतिबंध।
- संस्था से रेस्टीगेट किया जाना।
- आर्थिक दण्ड रूपये 25000 तक।